


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज 22/11/2017</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए</p>
<p>20-10-22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिक्केन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दारे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मौटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19-12-22 को पेश हो। सुजयति</p>	
<p>19-12-22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिक्केन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दारे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मौटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18-1-23 को पेश हो। सुजयति</p>	
<p>18-1-23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिक्केन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दारे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मौटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27-2-23 को पेश हो। सुजयति</p>	
<p>31/3/23</p>	<p>हुकमाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिक्केन उपस्थित/पीठा अधिकारी दारे/अन्य कार्य में व्यस्त/मौटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/6/23 को पेश हो।</p>	
<p>21-6-23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिक्केन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दारे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मौटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6-9-23 को पेश हो। सुजयति</p>	
<p>6-9-23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिक्केन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दारे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मौटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26-9-23 को पेश हो। सुजयति</p>	
<p>26-9-23</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। बकील प्राचीन पक्षाद्वारा अनुपाक्षित। प्रकृष्ट में कोई रजगति तक रुम-2 दर वार-2 भावाज दिन्वाभी गयी। बकील प्राचीन व पक्षाद्वारा में से कोई बार्जर मजालत नहीं मीमें है; अतः बकील प्राचीन व पक्षाद्वारा डी अनुपाक्षेती में प्राचीन पत्रा अस्थाभी निषेधात्।</p>	

लगाता

तारीख
हुक्म

कलम-5 बगैर जगदीश प्रसाद

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
अ.पत्र डा.प्रा.वि.सि.सं. - 75/2018

(अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान डाकघरों में अधिकारियों के अदम रैरवी व अदम दायरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली ईमेल द्वारा देना पर तत्काल दायित्व दफ्तर है।)

(Signature)
(दिलीपासिंह)

सहायक कलम्वर (फाल्गुनेउ)
अ.मि.धोपुर, नमिडाथना